

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

::आदेश:-

राजस्थान समाज कल्याण सेवा के ग्रुप "ए" के संयुक्त निदेशक पद की वर्ष 2024-25 व 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.05.2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आयोजित की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2024-25 व वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के लिये संयुक्त निदेशक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निम्नानुसार राजसेवक को उप निदेशक (एल-15) से संयुक्त निदेशक (एल-17) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से पदोन्नति चयन की अभिशं ॥ किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25				
क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदोन्नति हेतु चयन दिनांक	विशेष I विवरण
01	श्रीमती पंवार किरण के	UR	02-08-2024	-
वर्ष 2025-26				
01	श्री संजय सांवलानी	UR	18-10-2025	-
02	श्री पवन कुमार पूनिया	UR	13-11-2025	-

उपरोक्त अधिकारी पदोन्नत पद पर वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे, इनको पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सान्याअवि, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं समकक्ष/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि.....।
9. संस्थापन प्रशाखा (पी-1) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/संयुक्त निदेशक (आई.टी) को ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. संबंधित अधिकारी
11. व्यक्तिगत पत्रावली श्री
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव